

निचल नम्बर 402/18 तारीख रजु 15.2.18 रिपोर्ट पटवारी हल्का..... वनाम

श्री हरका पुत्र पत्रावली जाति वर्मा निवासी रि.क.उ.र.पु.र. तहसील महवा

### अन्तर्गत धारा 91 राज.भू-अधिनियम 1956

दिनांक:- 6.3.18

निर्णय:-

आज यह पत्रावली बमुकाम महवा हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री हरका ने ग्राम रि.क.उ.र.पु.र. को भूमि ख.न.  $\frac{889}{1023}$  रकबा 0.25 किस्म खजूर फसल खेरी/खडीक संवत् 2074 म. कर अतिक्रमण किया है। इस पर अप्रार्थी के विरुद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 (3) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित आया। उसके द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया उक्त जवाब में उसके द्वारा शपथ पत्र/प्रार्थना पत्र पेश कर अतिक्रमित रकबा को छोड़ने हेतु लिखकर दिया जो संलग्न पत्रावली किया गया है व मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतिक्रमी दोषी है।

तथा आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न.  $\frac{889}{1023}$  रकबा 0.25 किस्म खजूर वाके ग्राम रि.क.उ.र.पु.र. से बेदखल किया जाता है। तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 5-10-57 50 गुणा 250 = शास्ति से दण्डित किया जाता है। तथा इस पर खडी फसल जेई को नीलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। भू-अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खडी फसल को नष्ट नीलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हो। तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसुली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया

तहसील म/व के नंबर नं०... 112 ...पर  
 वर्ष 2017-18  
 की शक्ति...  
 की जमा...  
 दिनांक : 12/3/18  
250 रु.  
P. Chaudhary  
 लेखाकार  
 तहसील-महवा

महवा  
 नायब तहसीलदार  
 महवा (दौसा)